मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 03] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2014–पौष 27, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

जाहिर सूचना

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अम्बिका रिफाईनरी 82/ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मंदसौर में स्थित है. जो कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी, उज्जैन में फर्म के रजिस्ट्रार में क्रमांक 651 तथा सन् 1990–91 में पंजीकृत है. जिसमें पूर्व में तीन साझेदार श्री विनोद कुमार गर्ग, श्री सुरेश गर्ग एवं पवन गर्ग थे. जिसकी संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है तथा चार नये साझेदार दिनांक 01–12–2013 से सम्मिलित हो रहे हैं. श्री नवनीत गर्ग, श्री अरूण गर्ग, श्री अजय गर्ग एवं उमेश जैन जिस किसी को कोई भी आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करें. अत: विधिवत् सूचित हो.

विनोद कुमार गर्ग,
(पार्टनर)
मेसर्स अम्बिका रिफाईनरी,
82/ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मंदसौर (म. प्र.).

(507–बी.)

आम सूचना

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. मोती लाल राय, सिवनी के नाम एक भागेदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 10/2001–2002 सन् 2001–2002 दिनांक 20–06–2001 है. इस फर्म में 01–04–2009 से एक साझेदार श्री रामस्वरूप राय पिता श्री ईश्वरीलाल राय रिटायर हो रहे हैं एवं इसी दिनांक अर्थात् 01–04–2009 को नये साझेदार श्री ईश्वरीलाल राय पिता स्व. खेमकरन राय फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं जो बाबूजी नगर, सिवनी के निवासी हैं.

अत: उक्त फर्म में दिनांक 01–04–2009 से संशोधन उपरांत तीन ही साझेदार शामिल हैं.

सर्व–साधारण को सूचना हेतु जारी दिनांक 27–09–2013.

(1) मोतीलाल राय

(2) रामस्वरूप राय

(3) ईश्वरीलाल राय

(भागीदार)

(508–बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मै. विमला डेव्हलपर्स, सिवनी के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 04/18/01/00281/11 सन् 2011-2012 दिनांक 26-11-2011 है. इस फर्म में दिनांक 14-03-2013 को साझेदार संलेख में एक नई कंडिका जोड़ी गयी है यह कि फर्म के सभी वैधानिक आर्थिक एवं अन्य मामले जैसे कि दस्तावेजों में हस्ताक्षर बैंक में सम्पत्ति रहन रखने हेतु और बिक्री पत्रक के हस्ताक्षर हेतु तथा विद्युत विभाग में प्रतिनिधित्व करने हेतु फर्म के साझेदार श्री नरेन्द्र टॉक को अधिकृत किया गया है.

अत: साझेदारी फर्म में दिनांक 14-03-2013 से उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु श्री नरेन्द्र टॉक, साझेदार क्रमांक-6 को अधिकृत किया गया है.

नरेन्द्र टॉक,
(भागीदार)

(509-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मेसर्स यूनिटेक इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स, 427, अमितेष नगर, स्कीम नं. 59, ए. बी. रोड, इंदौर (म. प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक. 03/27/03/00136/13, सन् 2013-2014 दिनांक 23-10-2013 भागीदारी फर्म की एक भागीदार श्रीमती दीपाली पटेल पत्नी श्री पीनल पटेल भागीदारी कारोबार से दिनांक 01-12-2013 के कारोबारी घण्टों के बाद से सेवानिवृत्त हो गयी है तथा दिनांक 02-12-2013 से फर्म का पंजीकृत कार्यालय 16, धेनु मार्केट, इंदौर (म. प्र.) से स्थानांतरित कर 427, अमितेष नगर, स्कीम नं. 59, ए. बी. रोड, इंदौर (म. प्र.) किया गया है.

अनुजा ताओसे,
(पार्टनर)
वास्ते—यूनिटेक इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स.

(514-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कर्म ग्रुप जो कि दिनांक 11 मार्च, 2011 से पार्टनरशिप फर्म होकर इसके वर्तमान पार्टनर (1) श्रीमती रीका जैन पति श्री रजत जैन, (2) श्रीमती उषा जैन पति श्री कमल कुमार जैन है. उक्त फर्म में श्री विपिन अग्रवाल पिता श्री मोहन लाल अग्रवाल, निवासी—67, ओल्ड अग्रवाल नगर, इन्दौर (म. प्र.) को दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 से नये पार्टनर के रूप में जोड़ा जा रहा है.

उषा जैन
(पार्टनर)
द्वारा—मेसर्स कर्म ग्रुप,
73-74, विनय नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(517-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-सामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम उपासना रोहरा था जिसे विवाह पश्चात् पारिवारिक रीतिरिवाजों के कारण बदल कर मान्या खुबचंदानी कर दिया गया है. अब मुझे मान्या खुबचंदानी के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :
(उपासना रोहरा)

नया नाम :
(मान्या खुबचंदानी)
वार्ड नं. 26, प्रेमनगर,
बालाघाट, (म. प्र.).

(510-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम रोमा साहित्य था जो विवाह के पश्चात् श्रीमती तानिया गलानी पति श्री संदीप गलानी हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(रोमा साहित्य)

नया नाम :
(तानिया गलानी)
95, रानीबाग, "B"
खण्डवा नाका, इंदौर (म. प्र.).

(511-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घरेलू नाम एवं इंटर परीक्षा में दर्ज मेरा नाम त्रेस्याम्मा के. पी. पिता का नाम आइप पौलोस दर्ज है. अब मैंने दीक्षांत उपरांत अपना नाम परिवर्तित कर ग्रेसी रोज पिता आइप पौलोस रख लिया है, अत: सर्व-साधारण को एतद् सूचना के जरिए सूचित किया जाता है कि मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेज/बोलचाल/संबोधन में ग्रेसी रोज से ही संबोधित किया जाये.

पुराना नाम :

(त्रेस्याम्मा के. पी.)
पिता आइप पौलोस

नया नाम :

(ग्रेसी रोज)
पिता आइप पौलोस,
पता—पुष्पा हायर सेकेण्ड्री स्कूल, टीकमगढ़ (म. प्र.).

(485-बी.)

CHANGE OF NAME

I, hereby Sushma Beohar D/o Late Suresh Kumar Khare, resident F-7 MPSEB Colony, Rampur, Jabalpur do hereby solemnly affirm and declare as under. I state that in my service and other records before divorce my name is recorded as Sushma Beohar after divorce I have changed my name SUSHMA KHARE with effect from December, 6-2013 onwards and the same be recorded in my all documents and service records.

Old Name :

(SUSHMA BEOHAR)
W/o Ashish Beohar

New Name :

(SUSHMA KHARE)
D/o Late Suresh Kumar Khare,
F-7, MPSEB Colony,
Rampur, Jabalpur (M.P.).

(512-B.)

CHANGE OF NAME

I, hereby Kanchna Kundey wife of Shri Raja Kundey, resident H.No.T- 172, Near Pani Ki Tanki, Mandla Road, Baba Ki Mazar, Mandla Road, Bilhari, Jabalpur. In school records of my children, by mistake my name is written as Usha Kundey. Hence, I am changing the name to KANCHNA KUNDEY in school records of my children.

Henceforth, from this date, in all school records of my son Rishe Kundey and Ritesh Kundey, name of mother should be read and written as Kanchna Kundey.

Old Name :

(USHA KUNDEY)

New Name :

(KANCHNA KUNDEY)

(513-B.)

त्रुटि सुधार

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राहुल पाराशर (पिता) व शिल्पा पाराशर (माता) अपनी अवयस्क पुत्री पंखुरी पाराशर (PANKHURI PARASHAR) जिसका कि स्कूल में गलती से नाम पंखुरी पारासर (PANKHURI PARASAR) लिखा गया है, उसे उसके सही नाम पंखुरी पाराशर (PANKHURI PARASHAR) के नाम से ही जाना व पहचाना जाए.

राहुल पाराशर,
134, शान्ति निकेतन कॉलोनी,
बॉम्बे हॉस्पिटल के पास, इन्दौर (म. प्र.).

(515-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, कोमल पमनानी पुत्री श्री अशोक पमनानी, निवासी—गाढ़वे की गोठ, लाला का बाजार, ग्वालियर शादी के बाद मेरा परिवर्तित नाम सान्वी वसनदानी पत्नी श्री योगेश वसनदानी के नाम से जाना व पहचाना जावे. शेष यथावत् रहेगा.

पुराना नाम :

(कोमल पमनानी)

नया नाम :

(सान्वी वसनदानी)

(516-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम श्रीगोपाल था जिसमें मैंने अपना उपनाम लगाकर श्रीगोपाल मानधन्या कर लिया है. अब मुझे श्रीगोपाल मानधन्या (**SHRIGOPAL MANDHANYA**) नाम से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(श्रीगोपाल)

(SHRIGOPAL)

नया नाम :

(श्रीगोपाल मानधन्या)

(SHRIGOPAL MANDHANYA)

(518-बी.)

33-बी, सेक्टर सी, स्कीम नं. 71, इन्दौर (म. प्र.).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद

प्र. क्र. 01/बी-113 /2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1)देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास, खरगोन जिले के समक्ष.

चूंकि पाटीदार समाज परमार्थिक न्यास, भुवानी माता चौक, कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) पिन कोड-451228 ने मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता है तो उसके बारे में की गई आपत्तियों या सुझाव देने का विचार रखता हो तो इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि '' पाटीदार समाज परमार्थिक न्यास'' कसरावद पारमार्थिक सेवा संस्थान ट्रस्ट एक लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला खरगोन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में नियत दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह (एक माह) के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

बी. एस. सोलंकी,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

(02)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अधिकारी, राजस्व क्षेत्र बदनावर, जिला धार

प्र. क्र. /बी-113/2013-14.

बदनावर, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013

प्रारूप क्रमांक-4

नियम-5 (1)

क्र. 31/री-1/2013.—एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण अध्यक्ष श्री गिरधारीलाल पाटीदार, निवासी—ग्राम बिडवाल बगैरा द्वारा श्री पाटीदार पारमार्थिक एवं शैक्षणिक न्यास, बदनावर, जिला धार द्वारा एक आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 (2) के तहत् लोक न्यास का गठन किया जाने हेतु निम्नानुसार पदाधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया :—

1. श्री गिरधारीलाल पिता श्री लालाजी मुनीम (पाटीदार) — अध्यक्ष
2. श्री तेजकरण पिता श्री गिरधारीलालजी चावड़ा — उपाध्यक्ष

3. श्री दिनेशकुमार पिता गिरधारीलाल पटेल	कोषाध्यक्ष
4. श्री ओमप्रकाश पिता श्री लक्ष्मीनारायणजी चावड़ा	सचिव
5. श्री गणपतलाल पिता श्री गिरधारीजी पाटीदार	सहसचिव
6. श्री पूनमचंद पिता मांगीलालजी पालोता संगठन	सचिव
7. श्री बद्रीलाल पिता हिरालालजी पाटीदार कोद	सदस्य
8. श्री पूनमचंद पिता श्री कानाजी ठेकेदार	सदस्य
9. श्री कृष्णकांत पिता श्री बाबूलालजी पाटीदार	सदस्य
10. श्री रतनलाल पिता श्री नारायणजी चौधरी	सदस्य
11. श्री भरतलाल पिता श्री दयारामजी पटवारी	सदस्य

उपरोक्त ट्रस्टी सदस्यों द्वारा श्री पाटीदार पारमार्थिक एवं शैक्षणिक न्यास बदनावर आदि कार्यों का संचालन किये जाने हेतु लोक न्यास का गठन प्रस्तावित किया गया.

उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो सप्रमाण मेरे न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 22 जनवरी, 2014 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी आपत्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद प्राप्त आपत्ति पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को मेरे न्यायालय एवं हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई.

आर. एस. बालोदिया,

(03) अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

प्र. क्र. /12-13/बी-113.

फॉर्म-4

[नियम (11) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि अध्यक्ष अशोक चंन्द्र जैन पुत्र स्व. श्री धर्मदास जैन निवासी पेज नम्बर 2, देव नगर कॉलोनी, भिण्ड ने (अशोक चंन्द्र जैन लोक कल्याण एवं शिक्षा) के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2014 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति, जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम	:	अशोक चंन्द्र जैन लोक कल्याण एवं शिक्षा
2.	चल सम्पत्ति	:	5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र)
3.	अचल सम्पत्ति	:	निल.

नरोत्तम भार्गव,

(04) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, झाबुआ

रा. प्र. क्र. /बी-113/2012-13. झाबुआ, दिनांक 17 सितम्बर, 2013

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के तहत्]

क्र. 3430/रीडर/2013.—आवेदक हेमेन्द्र पिता शांतिलाल बाबेल निवासी झाबुआ द्वारा श्री शंखेश्वर पद्म पद्मावति द्रव्य ट्रस्ट, झाबुआ को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र धारा 4-5, मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है.

2. जिसकी सुनवाई 05 अक्टूबर, 2013 को इस न्यायालय में समय प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रुचि हो और प्रकरण में नियत दिनांक 05 अक्टूबर, 2013 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित होवें. निर्धारित समयावधि पश्चात प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. नाम . . श्री शंखेश्वर पद्म पद्मावति द्रव्य ट्रस्ट, झाबुआ.
2. अचल सम्पत्ति का विवरण . . निरंक.
3. चल सम्पत्ति का विवरण . . रुपये 1,42,000/-(एक लाख बयालिस हजार रुपये) नर्मदा ग्रामीण बैंक में जमा हैं.

अम्बाराम पाटीदार,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(05)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, कुरवाई

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि मानव सेवा न्यास कुरवाई ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 31 जनवरी, 2014 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या संपत्ति में हित रखते हों और आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अंदर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम . . मानव सेवा न्यास, कुरवाई.
2. अचल सम्पत्ति . . 82,000/-
3. चल सम्पत्ति . . निरंक.

टीना यादव,
अनुविभागीय अधिकारी.

(06)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन

गौहरगंज, दिनांक 23 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1), मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.

जैसा कि आवेदक मानव सेवा न्यास, सुल्तानपुर, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2014 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति संस्था जो ट्रस्ट में या ट्रस्ट की संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	..	मानव सेवा न्यास, सुल्तानपुर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.
कार्यालय का पता	..	सुल्तानपुर, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति का विवरण	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	98,612.00 रुपये बैंक खाते में

वृन्दावनसिंह,
अनुविभागीय अधिकारी.

(07)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री रणजीत हनुमान मंदिर न्यास, कार्यालय श्री रणजीत हनुमान मंदिर रोड, इन्दौर की ओर से ब्रम्हचारी श्री प्रतापानंद गुरू प्रभुआनंद महाराज, निवासी श्री अल्हड़सिंह उस्ताद का अखाड़ा, जंगमपुरा, इन्दौर, द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री रणजीत हनुमान मंदिर न्यास.
कार्यालय	:	श्री रणजीत हनुमान मंदिर रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	श्री रणजीत हनुमान मंदिर एवं मंदिर से संलग्न समस्त निर्मित एवं खुला स्थान.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,111/- (रुपये ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र).

आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(08)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

तेज संपदा चेरिटेबल ट्रस्ट, कार्यालय 501, प्रिंसेस एम्पायर, रेसकोर्स रोड, इन्दौर की और से श्री वीरेन्द्र पिता तेजमाल धाकड़ निवासी 164, टेलीफोन नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	तेज संपदा चेरिटेबल ट्रस्ट.
कार्यालय	:	501, प्रिंसेस एम्पायर, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1,08,108/- (रुपये एक लाख आठ हजार एक सौ आठ मात्र).

आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(08-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र. 01/बी-113/2013-14.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जैसाकि " स्वर्गीय श्री एम. पी. तिवारी, मेमोरियल ट्रस्ट (न्यास)" ग्राम रातीवड़ ब्लॉक फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की ओर से श्री मनीष तिवारी, निवासी संतोष फार्म ग्राम-रातीवड़, द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2014 को विचार में लिया जावेगा. कोई व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करे. अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	श्री मनीष तिवारी, निवासी संतोष फार्म ग्राम-रातीवड़, तहसील हुजूर भोपाल.
चल सम्पत्ति	:	11,000/- (ग्यारह हजार रुपये मात्र).
अचल सम्पत्ति	..	-

आज दिनांक 01 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

सुनील दुबे,
अनुविभागीय अधिकारी.

(09)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/1510, दिनांक 03 अगस्त, 2012 द्वारा श्री पी. के. गर्ग, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	चम्बल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, घाटीगाँव ग्वालियर.	ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./866, दिनांक 05-03-1997	परिसमापन/2010/464, दिनांक 10-03-2010
2.	कमलाराजा गर्ल्स प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर.	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./836, दिनांक 22-05-1996	परिसमापन/2010/463, दिनांक 10-03-2010
3.	न्यायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर.	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./239, दिनांक 31-07-1996	परिसमापन/2010/463, दिनांक 10-03-2010
4.	संगम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, मउचं ग्वालियर.	ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./913, दिनांक 30-03-2002	परिसमापन/2013/1861, दिनांक 21-11-2013
5.	पंजाब नेशनल बैंक सहकारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर.	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./863, दिनांक 28-11-1996	परिसमापन/2013/862, दिनांक 21-11-2013
6.	मानस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./108, दिनांक 21-03-1983	परिसमापन/2013/1859, दिनांक 21-11-2013
7.	ग्वालियर नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर.	डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./65, दिनांक 17-06-1976	परिसमापन/2013/1860, दिनांक 21-11-2013

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्थाओं का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यवत् मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है.

के. एस. तोमर,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता मर्या., जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

जनता ओपनपान शक्कर कारखाना सहकारी संस्था मर्या., करही, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 16, दिनांक 14 जुलाई, 1966 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1664, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(756)

कार्यालय परिसमापक, भारत महिला साख सहकारी संस्था मर्या., जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

भारत महिला साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 509, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1654, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(756-A)

कार्यालय परिसमापक, नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मझेरा, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मझेरा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 468, दिनांक 18 जुलाई, 2002 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1652, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

व्ही. डी. अग्रवाल,
परिसमापक एवं सह. विस्तार अधिकारी.

(756-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013

क्र./परि./2013/1819.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1590, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 के द्वारा विश्वकर्मा काष्ठ कलां एवं लोहा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत विश्वकर्मा काष्ठ कलां एवं लोहा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 277, दिनांक 11 मई, 1994 है, को एतदद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(757)

शिवपुरी, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013

क्र./परि./2013/1820.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1589, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 के द्वारा महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कोलारस को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कोलारस, जिसका पंजीयन क्रमांक 394, दिनांक 10 जुलाई, 1992 है, को एतदद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(757-A)

शिवपुरी, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013

क्र./परि./2013/1821.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1588, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 के द्वारा आदर्श साख सहकारी संस्था मर्यादित, तारकेश्वरी कालोनी, शिवपुरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श साख सहकारी संस्था मर्यादित, तारकेश्वरी कालोनी शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 514, दिनांक 06 अगस्त, 2005 है, को एतदद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. एल. मौर्य, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(757-B)

शिवपुरी, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013

क्र./परि./2013/1822.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1587, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, मोहराई को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के

पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नही कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, मोहराई जिसका पंजीयन क्रमांक 520, दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 है, को एतदद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(757-C)

शिवपुरी, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013

क्र./परि./2013/1823.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./1586, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 के द्वारा आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, देहरदा गणेश को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रूचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, देहरदा गणेश जिसका पंजीयन क्रमांक 523, दिनांक 03 फरवरी, 2006 है, को एतदद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(757-D)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दीघौद	273/30-09-1991	1142/15-01-2013	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(757-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/761.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./06/1568, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 के द्वारा ग्रामीण महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भौंरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1021, दिनांक 14 मई, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री ए. एस. सल्लाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था ग्रामीण महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भौंरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1021, दिनांक 14 मई, 1982 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/762.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/1161, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेलगांव, जिसका पंजीयन क्रमांक 1539, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री ए. एस. सल्लाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेलगांव, जिसका पंजीयन क्रमांक 1539, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-A)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/763.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./81/898, दिनांक 01 अप्रैल, 1981 के द्वारा उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., कोढरना, जिसका पंजीयन क्रमांक 885, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के

अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., कोढरना, जिसका पंजीयन क्रमांक 885, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-B)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/764.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./95/550, दिनांक 31 मार्च, 1995 के द्वारा ईंट कवेलू उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बोरदेही, जिसका पंजीयन क्रमांक 805, दिनांक 10 जुलाई, 1964 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था ईंट कवेलू उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बोरदेही, जिसका पंजीयन क्रमांक 805, दिनांक 10 जुलाई, 1964 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-C)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/765.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./81/898, दिनांक 01 अप्रैल, 1981 के द्वारा कल्पना उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., कुजबा, जिसका पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 26 फरवरी, 1973 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था कल्पना उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., कुजबा, जिसका पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 26 फरवरी, 1973 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-D)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/766.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1160, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरीखूर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक 1430, दिनांक 3 नवम्बर, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरीखूर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक 1430, दिनांक 3 नवम्बर, 2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-E)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/767.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1160, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा महिला दुर्गा साख सहकारी संस्था मर्या., कोठीबाजार, बैतूल जिसका पंजीयन क्रमांक 1535, दिनांक 25 जुलाई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था महिला दुर्गा साख सहकारी संस्था मर्या., कोठीबाजार, बैतूल पंजीयन क्रमांक 1535, दिनांक 25 जुलाई, 2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-F)

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/768.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/1164, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा ताप्ती परिवहन सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1537, दिनांक 26 अगस्त, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री युवराज ठाकरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था ताप्ती परिवहन सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1537, दिनांक 26 अगस्त, 2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-G)

बैतूल, दिनांक 27 सितमबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/842.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/1164, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा हरिआम मशाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कौड़ीढाना, जिसका पंजीयन क्रमांक 1427, दिनांक 31 जनवरी, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री युवराज ठाकरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था हरिआम मशाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कौड़ीढाना, जिसका पंजीयन क्रमांक 1427, दिनांक 31 जनवरी, 2000 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-H)

बैतूल, दिनांक 27 सितमबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/843.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./06/1568, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 के द्वारा नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., शाहपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1022, दिनांक 14 मई, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री ए. एस. सल्लाम सहकारिता वस्तिार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये

जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., शाहपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1022, दिनांक 14 मई, 1982 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-I)

बैतूल, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./पुन./2013/844.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1160, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरसाली, पंजीयन क्रमांक 1389, दिनांक 17 नवम्बर, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/1160, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, आमला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था की दिनांक 5 सितम्बर, 2013 को आम सभा ली गई. जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है. परिसमापक द्वारा भी संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई. तदानुसार मेरी राय में संस्था द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक द्वारा की गई अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरसाली का अस्तित्व में रहना आवश्यक है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2011/1160, दिनांक 28 नवम्बर,2011 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ.

आगामी आदेश पर्यन्त अथवा संस्था का निर्वाचन जो भी पहले हो संस्था का कामकाज चालने हेतु 6 माह तक के लिये संस्था मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरसाली की निम्नांकित प्रबन्धकारिणी समिति गठन करता हूँ :—

क्रमांक	नाम	पद
1	2	3
1.	श्री मनोज मनोहरी	अध्यक्ष
2.	श्री रामदयाल साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रकाश मधु	संचालक
4.	श्री जग्मू गरबसिंग	संचालक
5.	श्री मुन्ना भंगी	संचालक
6.	श्री रमेश हरेसिंग	संचालक
7.	श्री प्रकाश मधुसिंग	संचालक
8.	श्री मंदल सुम्मर	संचालक
9.	श्रीमती देवकी ननकु	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-J)

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/609.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1160, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतेड़ाखुर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक 1427, दिनांक 31 जनवरी, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतेड़ाखुर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक 1427, दिनांक 31 जनवरी, 2000 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-K)

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/610.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1160, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अम्बाड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1436, दिनांक 16 जनवरी, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अम्बाड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1436, दिनांक 16 जनवरी, 2001 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-L)

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/611.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1160, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तोरणवाड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1433, दिनांक 03 नवम्बर, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का

कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तोरणवाड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1433, दिनांक 03 नवम्बर, 2000 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-M)

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/612.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1159, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अर्जूनवाड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1525, दिनांक 16 जनवरी, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री एस. के. बर्थे, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अर्जूनवाड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1525, दिनांक 16 जनवरी, 2006 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-N)

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/613.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1159, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरव्हा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1531, दिनांक 23 मई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री एस. के. बर्थे, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरव्हा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1531, दिनांक 23 मई, 2006 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-O)

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/614.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1160, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा आशा महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सदर, बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1543, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था आशा महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सदर, बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1543, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-P)

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/615.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1160, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा बारहलिंग बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1563, दिनांक 17 जुलाई, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री राजेश वडयालकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था बारहलिंग बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1563, दिनांक 17 जुलाई, 2007 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-Q)

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/616.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1162, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा श्री राम बारदाना क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1558, दिनांक 26 जुलाई, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक

श्री बसंत मगरदे, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था श्री राम बारदाना क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1558, दिनांक 26 जुलाई, 2007 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-R)

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/617.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1162, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा एकता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., जाकिर हुसैन वार्ड, बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1510, दिनांक 26 जुलाई, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री बसंत मगरदे, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था एकता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., जाकिर हुसैन वार्ड, बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1510, दिनांक 26 जुलाई, 2005 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(758-S)

बैतूल, दिनांक 27 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2013/618.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1162, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा श्री बालाजी एल पी जी गैस ईंधन आपूर्ति क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1556, दिनांक 04 जून, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री बसंत मगरदे, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश

सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था श्री बालाजी एल. पी. जी. गैस ईंधन आपूर्ति क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1556, दिनांक 04 जून, 2007 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

दौलतराम गेडाम,
उप-पंजीयक.

(758-T)

कार्यालय परिसमापक एवं सह. विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियां, बैतूल

बैतूल, दिनांक 20 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/क्यू-1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे निम्नानुसार सहकारी समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर	1567/10-09-2007	769/31-08-2013
2.	आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हिडली	1404/18-05-1995	769/31-08-2013

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड-स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुये मैं, सी. एल. डोंगरे, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियां, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूं कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिये संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

सी. एल. डोंगरे,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(761)

कार्यालय परिसमापक एवं सह. विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियां, बैतूल

बैतूल, दिनांक 14 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/710.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/13/463, दिनांक 21 जून, 2013 के द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र./दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक (4)
1.	आदिवासी ईंट उद्योग सह. संस्था मर्या., पाढर	1231/20-12-1988	463/21-06-2013
2.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., चिखलीमाल	1558/22-01-2002	463/21-06-2013
3.	गृह क्षेत्रीय कर्मशाला प्रा. उप. भं. मर्या., बगडोना	1407/29-07-1999	463/21-06-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	सतपुड़ा परिवहन सह. संस्था मर्या., पाथाखेड़ा	1538/26-06-2007	463/21-06-2013
5.	सुगम प्रिंटिंग प्रेस सह. संस्था मर्या., बैतूल	1315/25-09-1993	463/21-06-2013
6.	ताप्ती महिला गृह उद्योग सह. सं. मर्या., बैतूल	1561/13-07-2007	463/21-06-2013
7.	सतपुड़ा स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग प्रेस सह. सं. मर्या., बैतूल	1421/31-03-2000	463/21-06-2013
8.	पंचशील ईंट कबेलू उद्योग सह. सं. मर्या., हमलापुर	80/14-06-1989	463/21-06-2013
9.	जनकल्याण महिला गृह उद्योग सह. सं. मर्या., जीनबोरगांव	1542/27-11-2006	463/21-06-2013
10.	भारत भारती उप सह. भंडार मर्या., जामठी	894/15-05-73	463/21-06-2013

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड-स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुये मैं, एच. एस. कपूरे, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियां, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिये संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

एच. एस. कपूरे,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(762)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़

राजगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

त्रिमूर्ति खनिज कामगार सहकारी संस्था मर्या., मुकुन्दपुरा, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र./1898, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 335, दिनांक 31 अक्टूबर, 1984 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

उक्त आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(759)

राजगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/988.—गायत्री प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र./18898, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 233, दिनांक 28 नवम्बर, 1980 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं

उक्त आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(759-A)

राजगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/989.—आदर्श परिवहन सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र./1898, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 से जिसका पंजीयन क्रमांक 3807, दिनांक 05 फरवरी, 1957 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

उक्त आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(759-B)

राजगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/990.—शासकीय कर्मचारी वेतनभोगी साख सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र./38, दिनांक 13 जनवरी, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 22 अक्टूबर, 1959 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

उक्त आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(759-C)

राजगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/991.—प्राथमिक वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजयगढ़, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र./1898, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 539, दिनांक 11 नवम्बर, 1992 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी,

देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

उक्त आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(759-D)

राजगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/992.—पुलिस केन्टीन उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र./1898, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 95, दिनांक 05 मार्च, 1953 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

उक्त आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(759-E)

राजगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/993.—प्राथमिक वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवगढ़, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र./1898, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 538, दिनांक 11 नवम्बर, 1992 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

उक्त आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(759-F)

राजगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/994.—वेतनभोगी सहकारिता विभाग सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र./1898, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 167, दिनांक 22 जून, 1966 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

उक्त आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(759-G)

राजगढ़, दिनांक 11 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1050.—मछुआ सहकारी संस्था मर्या., नापानेरा, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./13/374, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 से जिसका पंजीयन क्रमांक 476, दिनांक 29 दिसम्बर, 1990 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

उक्त आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(759-H)

राजगढ़, दिनांक 11 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1051.—नवजागृति महिला मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., घोघटपुर, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./13/375, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 से जिसका पंजीयन क्रमांक 835, दिनांक 26 नवम्बर, 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

उक्त आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

उमेश कुमार तिवारी,
उप-पंजीयक.

(759-I)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

पुलिस हितकारिणी सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 23 मार्च, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2013/

174, झाबुआ दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत पुलिस हितकारिणी सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 23 मार्च, 2013 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एस. भूरिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को जारी किया गया है.

(760)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

लक्ष्मी महिला सि. उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 986, दिनांक 01 नवम्बर, 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2013/174, झाबुआ दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत लक्ष्मी महिला सि. उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 986, दिनांक 01 नवम्बर, 2003 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुभाष कार्णिक, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को जारी किया गया है.

(760-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तलावाली का पंजीयन क्रमांक 669, दिनांक 20 दिसम्बर, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2013/174, झाबुआ दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तलावाली का पंजीयन क्रमांक 669, दिनांक 20 दिसम्बर, 1994 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री गोविंद गुण्डिया को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को जारी किया गया है.

(760-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

महावीर प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, राणापुर का पंजीयन क्रमांक 987, दिनांक 18 अगस्त, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2013/174, झाबुआ दिनांक 12 जुलाई, 2013 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महावीर प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, राणापुर का पंजीयन क्रमांक 987, दिनांक 18 अगस्त, 2003 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एस. चौहान, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को जारी किया गया है.

बबलू सातनकर,

(760-C) उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 03] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2014-पौष 27, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा (मुरैना), कोलारस (शिवपुरी), आरोन (गुना), लौण्डी, गौरीहार (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, शाहनगर (पन्ना), रहली, केसली (सागर), हनुमना, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), गोपदवनास, सिंहावल, मझौली (सीधी), सुबासरा टप्पा, मल्हारगढ़, गरोठ (मंदसौर), उज्जैन (उज्जैन), झाबुआ (झाबुआ), अलीराजपुर, चन्द्रशेखर आ. नगर (अलीराजपुर), बदनावर (धार), सारंगपुर (राजगढ़), नटेरन (विदिशा), उदयपुर (रायसेन), भैसदेही, घोड़ाडोगरी, शाहपुर, बैतूल, मुलताई (बैतूल), सीहोरा, जबलपुर, मझौली, कुण्डम (जबलपुर), मण्डला (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा), केवलारी, कुरई (सिवनी), वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील पलेरा (टीकमगढ़), नौगांव, छतरपुर (छतरपुर), देवरी (सागर), हजूर, गुढ़ (रीवा), अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), बड़नगर (उज्जैन), जोवट, सोण्डवा (अलीराजपुर), धरमपुरी (धार), बुरहानपुर (बुरहानपुर), चिचोली (बैतूल), पाटन (जबलपुर), नैनपुर, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा), बरघाट, छपारा (सिवनी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील सिरमोर, मऊगंज (रीवा), जेतहरी (अनूपपुर), कुसमी, चुरहट, रामपुर-नैकिन (सीधी), धार, कुक्षी (धार), बरेली (रायसेन), आढनेर (बैतूल), निवास (मण्डला), चौरई, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), लखनादौन (सिवनी), लांजी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील त्यौंथर (रीवा), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), सरदारपुर, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, डही (धार), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), बिछिया (मण्डला), मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, घंसौर, धनौरा (सिवनी), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील बैरसिया, हुजूर (भोपाल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, सतना, अनूपपुर, उमरिया, भोपाल, सीहोर जुताई एवं रीवा में रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला मंदसौर, धार, भोपाल में फसल सोयाबीन व कटनी में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, अनूपपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गन्ना, कपास. मूँगफली, ज्वार, बाजरा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		तिल, धान, सोयाबीन, उड़द,मूँग,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		तुअर समान.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		तिल अधिक. उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		उड़द, सोयाबीन, धान, मूँग, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		तुअर, दरारी.		
			(2) . .		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक.	6. . .	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	11.0				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) सोयाबीन, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद.	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	. .	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	2.0				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	14.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, गन्ना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	30.0				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	3.0		4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	9.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	21.2				
4. छतरपुर	26.0				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	15.4		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मूँग, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	2.0		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	14.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	1.4				
6. देवरी	20.0				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	13.0				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		उड़द, मूँग सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) . .		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, मूँग, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	54.0		4. (1) अरहर, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	38.0		उड़द, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	41.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	13.2				
5. हजूर	33.2				
6. गुढ़	23.0				
7.रायपुरकर्चुलियान	12.0				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
5. बुढार	. .				
6. गोहपारू	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	40.9		4. (1) मक्का, धान अधिक. कोदों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	21.8		सोयाबीन,उड़द, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	23.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पुष्पराजगढ़	58.2				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	12.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	4.0		तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	18.0		रामतिल अधिक.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	1.0		4. (1) मक्का, ज्वार, धान, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	7.0		तिल, तुअर, मूँग, उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	8.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	51.0				
5. चुरहट	40.0				
6. रामपुरनैकिन	40.6				
***जिला सिंगरौली :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	9.2	कार्य चालू है.	4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	10.0				
4. गरोठ	4.4				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. संजीत	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. शामगढ़	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तिल अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		मूँगफली कम. उड़द तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	4.0				
6. बड़नगर	27.4				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुवर, उड़द, मूँगमोठ, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		कपास, मूँगफली कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली, तुअर, धान	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		अधिक. मक्का, कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. झाबुआ	1.0				
5. भामरा	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. जोबट	23.0		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. अलीराजपुर	8.0		सोयाबीन, उड़द, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. च.शे.आ. नगर	6.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कट्टीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	33.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	16.6	कार्य चालू है.	4. (1) सोयाबीन, कपास , मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	74.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	39.8				
4. कुक्षी	45.5				
5. मनावर	113.0				
6. धरमपुरी	24.0				
7. गंधवानी	90.0				
8. डही	63.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला पूर्व निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	22.2		4. (1) कपास, मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	57.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	89.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		गन्ना, ज्वार, तुअर कम. मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	2.5				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	1.0				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	595.8		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	1223.7		मूँगफली, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, अरहर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सोयाबीन, मूँगफली, तिल, उड़द,	. .	
3. बेगमगंज	. .		सन, गन्ना.		
4. गोहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	48.0				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	15.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	10.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	16.5		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	10.0				
4. चिचोली	32.5				
5. बैतूल	11.5				
6. मुलताई	9.8				
7. आठनेर	48.1				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गन्ना, तिल, मूँगफली , मूँगमोठ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		उड़द, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	6.8		4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	23.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	0.10				
4. मझौली	10.0				
5. कुण्डम	14.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. फसलों की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	13.4	कार्य चालू है.	4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	21.0		राहर, कोदो, उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बड़वारा	4.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. विजयराघवगढ़	13.0				
5. बहोरीबंद	18.6				
6. ढीमरखेड़ा	20.0				
7. बरही	18.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	42.2		4. (1) धान, मक्का, कोदो, तुअर, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	70.3		सन सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	21.3		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	1.6				
5. घुघरी	24.4				
6. नारायणगंज	19.7				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	7.0		4. (1) धान,मक्का, सोयाबीन, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	5.4		राहर, कोदो-कुटकी, तिल,	चारा पर्याप्त.	
			जगनी.		
			(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	17.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	34.6		(2) . .	. .	
3. परासिया	32.1				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	29.2				
6. पांढुर्णा	20.8				
7. अमरवाड़ा	30.4				
8. चौरई	46.5				
9. बिछुआ	46.3				
10. मोहरखेड़ा	81.4				
11. हर्रई	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	62.4		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, रामतिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	15.0		गन्ना अधिक. ज्वार, बाजरा,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	38.0		कोदों-कुटकी, उड़द, सोयाबीन,		
4. बरघाट	26.3		सन कम. मूँग, मूँगफली समान.		
5. कुरई	17.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. घंसौर	66.0				
7. धनोरा	63.0				
8. छपारा	23.0				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	31.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	40.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	89.0				
4. वारासिवनी	10.6				
5. कटंगी	38.9				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, शहडोल, सिंगरौली, बड़वानी, पू. निमाड़, हरदा, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(768)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.